संख्या:302/2015/2305/35-4-2015

प्रेषक,

जे.बी.सिंह ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 04 नवम्बर,2015

विषय : वर्ष 2015-16 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज में शासनादेश संख्या-845/35-4-2014 दिनांक 28 अक्टूबर,2014 द्वारा 34 कार्यों की रू. 7390.83 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 3695.41 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। मुख्य अभियंता, (मु0-1) लो0नि0वि0 के पत्र 5526बी.जी./7बी.-3 त्व0आ0वि0यो0/2015-16 दिनांक 21 सितम्बर,2015 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत 34 कार्यो में से 16 कार्यो हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक का उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत 34 कार्यो में से निम्नलिखित 16 कार्यो हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 1729.95 लाख (रूपये सत्रह करोड़ उन्तीस लाख पन्चान्वे हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	फगुहाभट्टा लोहामढ मतौली मार्ग से टिकरा होते हुये सरैया सम्पर्क मार्ग	214.02	107.01	107.01
2	बहेलियनपुर्वा राजकीय डिग्री कालेज से नवोदय विद्यालय मार्ग होते हुये यादव नगर जी0एस0एस0टी0 मार्ग का निर्माण कार्य	206.80	103.40	103.40
3	ईदगाह मार्ग से पनवारा गंगूपुर्वा मार्ग तक निर्माण कार्य	174.58	87.29	87.29
4	ईदगाह गोवर्धनी देवी मार्ग से वाया पनवारा सोरोतोप सम्पर्क मार्ग	179.75	89.88	89.87
5	झण्डा तले कन्नौज से बगिया होते हुये तुल्लापुर्वा लिख्खापुर्वा टुइयापुर्वा मार्ग	194.59	97.29	97.30
6	जसोदा जसपुरापुर सरैया मार्ग से मवई, मडिया, अमानपुर्वा होते हुये सिमरापुर सम्पर्क मार्ग	295.91	147.96	147.95
7	कटरा इनायतपुर मार्ग से जेवा चन्दापुर्वा होते हुये जसपुरापुर सरैया मार्ग तक सम्पर्क मार्ग	286.85	143.43	143.42
8	रमजानपुर से गांगेमऊ होते हुये टडवा सम्पर्क मार्ग	241.75	120.87	120.88
9	जी0एस0एस0टी0 मार्ग से गोवा भूडापुर्वा होते हुये सढियापुर सम्पर्क मार्ग	269.19	134.59	134.60
10	बाबा भैरों मन्दिर चौधरियापुर से चौराचांदपुर गुमटिया होते हुये मेंहदीघाट सम्पर्क मार्ग	249.26	124.63	124.63
11	जी0टी0 मार्ग जिला अस्पताल से पट्टीपुर्वा बहादुरपुर मन्नापुर्वा होते हुये रितुकला सम्पर्क मार्ग	198.17	99.08	99.09
12	जी0टी0 मार्ग किमी0-356 से मित्रसेनपुर होते हुये अब्दुलपुर सकरी सम्पर्क मार्ग	169.93	84.97	84.96

http://shasanadesh.up.nic.in

	कार्य	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
13	जी0एस0एस0टी0 मार्ग से पकरा, कोरियनपुर्वा मडिया होते हुये बहादुरपुर सम्पर्क मार्ग	184.66	92.33	92.33
14	खिदरियापुर से रोहनपुर्वा सम्पर्क मार्ग	204.57	102.29	102.28
15	एन0एच0-234 से भुडिया, अर्जुनपुर्वा, तारनपुर्वा होते हुये लोहामढ़ सम्पर्क मार्ग	211.54	105.77	105.77
16	उदैतापुर जसौली मार्ग से नारायनपुर्वा ऑटी होते हुये केसरीपुर्वा सम्पर्क मार्ग	178.35	89.18	89.17
	योग	**3459.92**	**1729.97**	**1729.95**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 अक्टूबर,2014 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर डिपाजिट कार्यों के रूप में कार्यदायी विभाग-द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" के अन्तर्गत-सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

3- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2016 तक कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2016 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2016 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2016 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03-ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:302/2015/2305(1)/35-4-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण ।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर ।
7- जिलाधिकारी, कन्नौज ।
8- मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज ।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज ।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज ।

आज्ञा से ,

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in